रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

RECD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 224] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 24 , 1997/अग्रहायण 3, 1919
No. 224] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 24, 1997/AGRAHAYANA 3, 1919

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1997

संख्या पी-20012/29/97-पी. पी.—पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण की वर्तमान प्रणाली तेल मूल्य समिति, 1976 की सिफारिशों पर आधारित है जिन्हें भारत सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 16 दिसंबर, 1977 के संकल्प संख्या पी-20028/3/77-पीपीडी (खंड II) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया और जिनमें भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल लागत समीक्षा समिति, 1984 की सिफारिशों के आधार पर अपने दिनांक 23 अक्तूबर, 1986 के आदेश संख्या पी-20012/48/84-पीपी के तहत संशोधन किया गया । वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत प्रतिधारण संकल्पना के आधार पर तेल रिफाइनरियों, विपणन कंपनियों और पाइपलाइनों की क्षतिपूर्ति की जाती है और नेटवर्थ पर 12% कर पश्चात् प्रतिलाभ दिया जाता है । स्वदेशी कच्चे तेल का मूल्य भी लागत जमा सूत्र पर आधारित है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल उत्पादक कंपनियों की प्रचालन लागत और 15% कर पश्चात् प्रतिलाभ दिया जाता है ।

2. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 18 जनवरी, 1995 के आदेश संख्या पी-20029/21/94-पीपी के अंतर्गत तेल उद्योग के पुनर्गठन के लिए आवश्यक नीतिगत उद्देश्यों और पहलों को पूरा करने हेतु सिफारिशें देने के लिए तेल उद्योग के पुनर्गठन संबंधी कार्यनीतिक योजना दल

(आर ग्रुप) का गठन किया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञ, प्रसिद्ध ऊर्जा विशेषज्ञ और शिक्षाविद शामिल थे । 'आर' ग्रुप ने प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को क्रमिक रुप से चरणों में समाप्त करने और मुक्त विपणन व्यवस्था का आरंभ करने की सिफारिश की थी । सरकार ने 1.9.97 को 'आर' ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर चरणबद्ध ढंग से सुधारों की शुरुआत करने के द्वारा प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया था ।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने दिनांक 25 जून, 1996 के आदेश संख्या पी-20029/21/95-पीपी के अंतर्गत प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिए जाने की स्थिति में शुल्क संरचना के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ तकनीकी दल की भी नियुक्ति की थी । विशेषज्ञ तकनीकी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो सरकार के पास विचाराधीन थी । इस रिपोर्ट में चरणबद्ध ढंग से बाजार निर्धारित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था अपनाने और प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था को समाप्त कर दिए जाने के संबंध में सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क दरों तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का उल्लेख किया गया है ।

4. भारत सरकार ने विशेषज्ञ तकनीकी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को चरणों में समाप्त करने और अंतिम वर्ष अर्थात् 2001-02 के लिए शुल्क संरचना के ब्यौरे के संबंध में निर्णय कर लिया है । ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क. 1998-99 से आरंभ करते हुए अनुबंध-I में दिए गए क्रम के अनुसार चरणों में पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को समाप्त करना ।

ख. स्वदेशी कच्चे तेल उत्पादकों के लिए लागत जमा सूत्र वापिस लिया जाता है और संक्रमण अवधि के दौरान कच्चे तेल के वास्तविक आयात के भारित औसत पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पूर्व-घोषित बढ़े हुए प्रतिशत का भुगतान करते हुए चरणबद्ध ढंग से तेल उत्पादकों को प्राप्य मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तरों तक बढ़ाया जाएगा ।

ग. सभी (विद्यमान और नई) रिफाइनरियों के लिए प्रतिधारण मूल्य निर्धारण की प्रणाली समाप्त की जाती है और रिफाइनरी द्वार स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण आयात समानता की ओर अग्रसर होगा, लेकिन नियंत्रित उत्पादों अर्थात् एम एस, एचएसडी, एसकेओ, एलपीजी और एटीएफ के रिफाइनरी द्वार मूल्य संक्रमण अवधि के दौरान विद्यमान रिफाइनरियों के लिए 'समायोजित आयात समानता' पर नियत किए जाएंगे, रिफाइनरियों द्वारा सभी अन्य उत्पाद बाजार आधारित मूल्यों पर बेचे जाएंगे ।

घ. मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ता मूल्य बाजार मूल्यों की ओर अग्रसर किए जाएंगे, एचएसडी का मूल्य भंडारण-स्थल स्तर तक तत्काल प्रभाव से आयात समानता मूल्य-निर्धारण के सिद्धांत पर नियत किया जाएगा और अन्य मुख्य उत्पादों अर्थात् एलपीजी, एटीएफ, एसकेओ और एमएस के मूल्य चरणबद्ध ढंग से आयात समानता के सिद्धांत की ओर अग्रसर किए जाएंगे और

पैराफिन-मोम, बिटुमेन, नाफ्था, एफओ और एलएसएचएस का मूल्य-निर्धारण नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा ।

ङ. संक्रमण अवधि का उपयोग लगभग 18,200 करोड़ रुपए मूल्य के उन तेल बांडों की सर्विसिंग और परिशोधन के लिए किया जाएगा, जो सरकार द्वारा तेल कंपनियों को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित हैं, उपर्युक्त क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य तेल समन्वय समिति द्वारा बढ़ी हुई स्वायत्त शक्तियों के साथ नियत किया जाएगा ।

च. संक्रमण अवधि के दौरान क्रूड (स्लॉप क्रूड और क्रूड कंडेनसेट), एनजीएल, एटीएफ, एमएस और एचएसडी के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात और निर्यात नियंत्रणमुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन संयुक्त और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक प्रयोक्ता लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत क्रूड के स्रोतीकरण और आयात की अनुमति दी जाएगी ।

छ. क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों को चरणबद्ध ढंग से तर्कसम्मत किया जाएगा ।

ज. उचित प्रशुल्क संरक्षण और कम से कम 2000 करोड़ रुपए के निवेश सहित रिफाइनरियों के स्वामित्व और प्रचालन पर एमएस, एचएसडी और एटीएफ जैसे परिवहन ईंधनों के लिए विपणन अधिकारों को सशर्त बनाकर या तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों द्वारा वार्षिक रुप से कम से कम 3 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन करने पर शोधन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा ।

झ. कच्चे तेल के प्रेषण के लिए लागत-जमा सूत्र वापिस लिया जाता है और दरें बाजार संबंधित दरों की ओर अग्रसर होंगी ।

ट. दूरवर्ती क्षेत्रों को आपूर्ति पर भाड़ा-राजसहायता राजकोषीय बजट के माध्यम से पूरी की जाएगी और :

ठ. हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के क्रियाकलापों और प्रवर्तन और प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे की निगरानी करने के लिए एक नियंत्रक ढांचे की स्थापना ।

5. इसमें उल्लिखित निर्णय 1.4.1998 के बाद से लागू होंगे और अगले आदेशों तक लागू रहेंगे ।

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, लोकसभा और राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव

अनुबंध-I

सुधारों का चरणबद्ध कार्यक्रम

विवरण	मॉडल
अंतरण चरण	4 वर्ष

वर्ष-1 (1998-1999)

(i)	कॉस्ट प्लस फार्मूला समाप्त करना और क्रूड उत्पादकों को वास्तविक आयात के पोत पर्यन्त भाड़ा कीमत के भारित औसत के रूप में भुगतान ।	75 प्रतिशत
(ii)	अंतरण अवधि के दौरान नियंत्रित रखे जाने वाले उत्पाद।	एम एस, एच एस डी, केरोसिन, ए टी एफ और एल पी जी ।
(iii)	रिफाइनरियों के लिए रिटेंशन मार्जिन संधारणा और नियंत्रित उत्पादों के लिए रिफाइनरी कीमतों की वापसी ।	वर्तमान रिफाइनरियों को समायोजित आयात समतुल्य कीमतें तथा नई रिफाइनरियों को टैरिफ समायोजित आयात समतुल्य कीमतें ।
(iv)	डीकंट्रोल किए जाने वाले उत्पाद।	नेफ्था, एफ जी, एल एस एच एस, बिटुमिन पेराफिन वैक्स ।
(v)	एक्सिट नीति।	क्रूड (स्लाप क्रूड और क्रूड कंडन्सेट) एल जी एल, ए टी एफ, एम एस और एच एस डी को छोड़ कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात का डीरेगुलाइजेशन ।
(vi)	क्रूड की उपलब्धता	क्रूड की उपलब्धता का उदारीकरण और संयुक्त तथा निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को वास्तविक उपयोगकर्ता लाइसेंस के अंतर्गत आयात की अनुमति ।
(vii)	सीमा-शुल्क	चरणबद्ध तरीके से युक्तीकरण।
(viii)	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि केरोसीन	
	(पी. डी. एस.)	वर्तमान भंडारण प्वाइंट का 30 प्रतिशत ।
	एल पी जी (घरेलू)।	पास की जाने वाली सब्सिडी का 33 प्रतिशत ।
(ix)	भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज।	33 प्रतिशत समान रूप से पास किया जाएगा ।
(x)	कच्चे तेल का नौवहन।	कच्चे तेल के लिए कॉस्ट प्लस फार्मूला को वापस लेना और संबद्ध बाजार दरों की ओर जाना ।

वर्ष-2 (1999-2000)

(i)	पोतपर्यन्त भाड़े भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान ।	77.5 प्रतिशत ।
(ii)	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
	केरोसिन (पी. डी. एस.)	एक वर्ष के अंत तक संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 30 प्रतिशत ।
	एल पी जी (घरेलू)।	33 प्रतिशत की और सब्सिडी पास की जाए ।
(iii)	भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज।	33 प्रतिशत समान रूप से पास किया जाएगा ।
(iv)	शुल्कों का युक्तीकरण।	जारी रखा जाए ।

वर्ष-3 (2000-2001)

(i)	पोतपर्यन्त भाड़ा कीमत की भारित की औसत के रूप में कच्चे तेल के उत्पादकों को भुगतान ।	80 प्रतिशत ।
(ii)	ए टी एफ।	आयातों और कीमत निर्धारण डी-रेगुलेशन ।
(iii)	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि	
	केरोसिन (पी. डी. एस.)।	वर्ष के आरम्भ में संशोधित भंडारण प्वाइंट कीमत का 20 प्रतिशत ।
	एल पी जी (घरेलू)।	आयात समानता में 15 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुँचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन ।
(iv)	भाड़ा और अन्य अंडर-रिकवरिज।	बकाया सब्सिडी को समान रूप से पास किया जाए ।

वर्ष-4 (2001-2002)		
(i)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य में भारित औसत के प्रतिशत के रूप में क्रूड उत्पादकों को भुगतान ।	82.5 प्रतिशत।
(ii)	निम्नलिखित की कीमतों में वृद्धि केरोसिन (पी. डी. एस.) ;	आयात समानता में 33.33 प्रतिशत सब्सिडी स्तर तक पहुँचने के लिए कीमतों में उपयुक्त समायोजन ।
2002 से आगे		पूर्ण विनियंत्रण सरकार के राजकोषीय बजट में एस के ओ, पी डी एस, एल पी. जी (घरेलू) को सब्सिडी तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में आपूर्तियों पर भाड़ा सब्सिडी का अंतरण ।

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

RESOLUTION

New Delhi, the 21st November, 1997

NO.P-20012/29/97-PP — The existing system of pricing of petroleum products is based on the recommendations of Oil Prices Committee, 1976 as approved by the Government of India, Ministry of Petroleum vide its Resolution No P-20028/3/77-PPD (Vol II) dated December 16, 1977 and as amended by the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide order No P-20012/48/84-PP dated October 23, 1986 based on the recommendations of the Oil Cost Review Committee, 1984. Under the present system, Oil refineries, marketing companies and pipelines are compensated based on the retention concept and are allowed a return of 12% post tax on net worth. The price of indigenous crude oil is also based on cost plus formula wherein the PSU Oil producing companies are allowed operating cost and 15% post tax return on capital employed.

2. The Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide its order No P-20029/21/94-PP dated January 18, 1995 had appointed a Strategic Planning Group on Restructuring of the Oil Industry ('R' Group) comprising of eminent experts from the Public Sector & Private Sector, distinguished Energy Experts and academicians to make recommendations to meet the policy objectives and initiatives required for restructuring the oil industry. The 'R' Group had recommended the gradual phasing out of APM and introduction of free marketing mechanism. The Government had decided on 1.9.97 to dismantle APM by introducing reforms in a phased manner based on the recommendations of the 'R' Group.

3. The Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas vide its order No P-20029/21/95-PP dated June 25, 1996 had also appointed an Expert Technical Group to examine the impact on various sectors at different levels of duty structure in case of dismantling of APM. The Expert Technical Group has submitted its report which was under examination of the Government. The report has dealt with phased movement to Market Determined Pricing Mechanism and rationalisation of Custom Tariff & Excise duty rates in respect of dismantling of APM along with its impact on various other sectors.

4. The Government of India has now decided the details of phasing of dismantling programme of administered pricing mechanism and the duty structure for the terminal year i.e. 2001-02, after taking into account the recommendations of Expert Technical Group. The details are given below:

a) Dismantling of APM in the petroleum sector in phases as per sequence given in Annexure-I starting from 1998-99.

b) Cost-plus formula is withdrawn for indigenous crude oil producers, the price receivable by oil producers will be increased to international levels in a phased manner by paying a pre-announced increasing percentage of weighted average FOB price of actual imports of crude oil during the transition period.

c) The system of retention pricing is abolished for all (existing and new) refineries, and pricing of petroleum products at the refinery gate level will move towards import parity, however, Refinery Gate prices of controlled products viz MS, HSD, SKO, LPG and ATF will be fixed at "adjusted import parity" prices for the existing refineries during the transition period, all other products will be sold by the refineries at market driven prices.

d) Consumer prices of major petroleum products will be moved to market prices, price of HSD will be fixed on the principle of import parity pricing upto ex-storage point level with immediate effect, and prices of other major products, viz. LPG, ATF, SKO and MS, will be moved towards principle of import parity in a phased manner and pricing of Paraffin-Wax, Bitumen, Naphtha, FO and LSHS will be decontrolled.

e) The transition period will be utilised for servicing and amortising the Oil Bonds worth around Rs.18,200 crores, proposed to be issued by the Government to the Oil companies, the price of crude and petroleum products as mentioned above will be fixed by OCC with enhanced autonomous powers.

f) Imports and exports of all petroleum products, except crude (slop crude and crude condensate), NGL, ATF, MS and HSD will be decanalised during the transition period, however, sourcing and import of crude will be allowed to joint and private sector refineries under actual user licensing policy.

g) Duties on crude and petroleum products will be rationalised in a phased manner.

h) Investments in the refining sector will be encouraged by providing reasonable tariff protection and making marketing rights for transportation fuels viz MS, HSD and ATF conditional on owning and operating refineries with an investment of at least Rs.2000 crores or oil exploration and production companies producing at least three million tonnes of crude oil annually.

i) Cost-plus formula for shipping of crude oil is withdrawn and the rates will move towards market related rates.

j) Freight subsidy on supplies to far-flung areas will be met through the fiscal budget and

k) Establishment of a regulatory framework to oversee the functioning of and enforcing a competitive framework in the Hydrocarbon Sector.

5. The decisions herein contained will come into force with effect from 1.4.1998 onwards and will remain in force until further orders.

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and the concerned Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

NIRMAL SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE

PHASED PROGRAMME OF REFORMS

Particulars	Model
Transition Phase	4 years
Year 1 (1998-1999)	
i) **Removal of cost plus formula and payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price of actual imports**	75 per cent
ii) **Products to be controlled during transition period.**	MS, HSD, Kerosene, ATF and LPG
iii) **Withdrawal of retention margin concept for the refineries and refinery gate prices for controlled products**	Adjusted import parity prices to existing refineries and tariff adjusted import parity prices to new refineries.
iv) **Products to be decontrolled**	Naphtha, FO, LSHS, Bitumen, Paraffin wax
v) **Exim Policy**	Decanalisation of imports/exports of all petroleum products except crude (slop crude and crude condensate), NGL, ATF, MS and HSD
vi) **Sourcing of crude**	Sourcing of crude to be liberalised and import to be allowed for joint and private sector refineries under actual user licence
vii) **Customs duties**	Rationalisation done in a phased manner
viii) **Increase in prices of :**	
Kerosene (PDS)	30 per cent of existing ex-storage point price
LPG(Domestic)	33 per cent of subsidy passed on.
ix) **Freight and other under –recoveries**	33 per cent to be passed on, in an equated manner
x) **Shipping of crude oil**	Withdrawal of cost plus formula for shipping of crude oil and move towards market related rates.

Particulars	Model
Year 2 (1999-2000)	
i) **Payment to crude producers as percentage of weighted average of FOB**	77.5 per cent
ii) **Increase in prices of :**	
Kerosene (PDS)	30 per cent of revised ex-storage point price at the end of year 1
LPG (Domestic)	A further 33 per cent of subsidy to be passed on
iii) **Freight and other under – recoveries**	A further 33 per cent to be passed on, in an equated manner
iv) **Rationalisation of duties**	To continue
Year 3 (2000-01)	
i) **Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price**	80 per cent.
ii) **ATF**	Deregulation of imports and pricing
iii) **Increase in prices of :**	
Kerosene (PDS)	20 per cent of the revised ex-storage point price at the beginning of the year.
LPG (Domestic)	Suitable adjustment in prices to reach subsidy level at 15% of import parity.
iv) **Freight and other under –recoveries**	Balance subsidy to be passed on, in an equated manner
Year 4 (2001-2002)	
i) Payment to crude producers as percentage of weighted average FOB price	82.5%
ii) Increase in prices of:	
Kerosene (PDS)	Suitable adjustment in prices to reach subsidy level at 33.33% of the import parity.
2002 onwards	Full Deregulation
	Transfer of subsidy on SKO (PDS), LPG(Domestic) and freight subsidy on supplies to far flung areas to the fiscal budget of the Government.

2980 GI/97-2.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1997.